विधान नियमावली

1.समिति का नाम– **प्रगति संस्थान, प्रतापगढ़**
पंजीयन क्रमांक – **26/चित्तौड़गढ़/2000–2001**

2. समिति पंजीकृत कार्यालय का नाम–**प्रतापगढ़** व
कार्यक्षैत्र– **सम्पूर्ण राजस्थान क्षैत्र**

3.समिति के उद्देश्य

01. चरित्र निर्माण
02. बालक–बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार।
03. बालकों का सर्वांगिण विकास।
04. बालकों में सामाजिक चेतना विकास।
05. शारीरिक व मानसिक विकास।
06. नैतिक दायित्व का निर्वाह।
07. प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एवं निर्वहन
08. निःशक्त व्यक्तियों को समाज में समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी दिलाना।
09. महिला जागृति व सशक्तिकरण हेतु कार्य करना।
10. दृष्टिहीनों, मुकबधिरों, अस्थि– विकलांगों व मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य करना।
11. उपभोक्ताओं का जागरण कर उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
12. स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं तकनीक से सम्बन्धित विषयों की जानकारी देना, प्रदर्शनी, सेमिनार और प्रचार माध्यमों द्वारा इनके उपयोग की जानकारी देना।
13. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्कूलों की स्थापना करना अथवा उनका संचालन करना।
14. विद्यालयों, स्कूलों, चिकित्सालयों, निकेतनों, हॉस्टलों, अनाथालयों, पितृहीन, शिशुगृहों, नर्सरियों, दुर्बल, विधवाओं, वृद्ध आदि के लिए क्लब, संस्थाओं को स्थापित कर रख–रखाव करना व संचालन करना।
15. युवा बैरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार सम्बन्धी सूचना, संप्रेषण, मार्गदर्शन प्रदान करना।
16. राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं को कुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराना।
17. युवा बैरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन कराना।
18. युवा, बैरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
19. पर्यावरण स्वास्थ्य संवर्धन कार्य करना। शिक्षा व संस्कृति का प्रसार करना।

अध्यक्ष　　सचिव　　कोषाध्यक्ष

20. भारत व राजस्थान सरकार द्वारा किये जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचलान करना।
21. सभी क्षेत्रों मं चिकित्सा, तकनीकी, जैव–तकनीकी, पारम्परिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र/जनजातीय उन पर ध्यान केन्द्रीय करना एवं चिकित्सा हेतु अस्पताल खोलना।
22. संस्था के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, केन्द्र और राज्य सरकार, और अन्य स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, संस्थानों, निधियों, बोर्डों, निगमों से ऋण, सब्सिडी, सहायता लेना।
23. संस्था अल्पसंख्यक विभाग अथवा आयोग में अपना पंजीयन करवा, विभाग की योजनाओं को क्रियान्वित करना।
24. अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल का संचालन करना।
25. अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए उनके हित में कार्यक्रम बनाकर अथवा सरकार से मदद अथवा अनुदान लेकर कार्य करना।
26. संस्था किसी भी सरकारी अथवा गैर–सरकारी वित्तीय संस्था अथवा बैंक अथवा व्यक्ति से ऋण ले सकेगी एवं संस्था की सम्पत्ति गिरवी रख सकेगी अथवा बेच सकेगी अथवा नई सम्पति खरीद सकेगी।
27. संस्था खिलाड़ियों एवं आम लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना कर सकेगी।
28. संस्था RSLDC/ PMKVY/ DDU-GKY एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार की समस्त योजनाओं में आवेदन करके कार्य करें।
29. प्राकृतिक आपदाओं, भूकम्प, बाढ, अकाल के समय सेवा के लिए आगे आना एवं सहायता पहुंचाना।
30. स्वच्छता एवं सामाजिक वानिकी की जानकारी देना एवं हरितीमा एवं वृक्षारोपण कार्य करना।
31. नेत्र शिविर लगाना तथा नेत्रदान एवं रक्तदान हेतु लोगों को प्रेरित करना।
32. अन्य समस्त कार्य जो मानवता के लिए वांछनीय है करना।
33. सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सामाजिक उत्थान की योजनाओं को सहयोग प्रदान करना।
34. ऐसी शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना जिसमें तकनिकी औद्योगिक, व्यवसायिक व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम द्वारा उन्हें उचित दिशा–निर्देश प्रदान करना। साथ ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रसार व प्रचार का प्रयास करना।
35. ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन करना जिसमें कि पिछडे वर्गो को और महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा दिये गये आरक्षण का लाभ दिलाना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

36. विकलांग बच्चों के विशिष्ट दुर्बलता को मान्यता दिलवाना और यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ अन्य बच्चों जैसा ही समानता के आधार पर व्यवहार हो इसके लिये प्रयास करना।
37. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना।
38. पीड़ित एवं तिरस्कृत मानव की हर प्रकार से सेवा करना जो बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, क्षैत्र, राज्य, सम्प्रदाय, सामाजिक प्रतिष्ठा में भेदभाव किये बिना सेवा करना।
39. फुटपाथी बच्चों (बाल श्रमिकों) की शिक्षा, पुर्नवास हेतु अनाथालय स्थापित करना।
40. साक्षरता, बालविकास एवं महिला जागृति केन्द्र चालाना।
41. पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं क्षैत्रीय विकास की योजना बनाना।
42. विधवा एवं अशक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराना।
43. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा, ग्रामीण एवं शहरी गरीबी वर्ग सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना तथा इनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षात्मक केन्द्र का संचालन एवं निर्देशन करना व विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन्हें लाभान्वित करना।
44. महिला अत्याचार के विरूद्ध जागरण अभियान चलाना तथा नारी उत्थान केन्द्र का संचालन करना।
45. ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना एवं कृषि विकास कराना।
46. जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन हेतु सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बनना।
47. परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित करना, वृद्धजनों की सहायता एवं देखभाल केन्द्र स्थापित करना।

04.सदस्यता

इस समिति के सदस्य निम्नांकित होंगे

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिया न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि एवं आस्था रखते हों।
5. संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हों।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

05.सदस्यों का वर्गीकरण

समिति के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे। :–

1. संरक्षक सदस्य
2. विशिष्ठ सदस्य
3. सम्मानीय सदस्य
4. साधारण सदस्य

06.सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क व चन्दा

उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1. संरक्षक सदस्य – राशि 500/– आजन्म
2. विशिष्ठ सदस्य – राशि 400/– आजन्म
3. सम्मानीय सदस्य – राशि 300/– आजन्म
4. साधारण सदस्य – राशि 200/– आजन्म

उक्त राशि एक मुस्त मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

07.सदस्यता से निष्कासित

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1. सदस्य की मृत्यु होने पर।
2. सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर उक्त प्रकार से निष्कासन की अपील 15 दिवस के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा को बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

08.साधारण सभा

1. संस्था के समस्त सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेगें तथा समस्त सदस्यों की सभा को ही साधारण सभा कहा जावेगा।

09.साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकारी व कर्तव्य होगें –

1. कार्यकारिणी का चुनाव करना।
2. बजट को पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा लिये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से विधान नियमावली में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
5. जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठके

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष, मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधरण सभा के बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व अतिआवश्यक बैठक की सूचना 03 दिन पहलें दी जाएगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 07 दिन पश्चात निर्धारित संस्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा निर्धारित अवधि अध्यक्ष/मन्त्री बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 10 सदस्यों में से कोई भी सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्वमान्य होंगे।

11.कार्यकारिणी का गठन

1. अध्यक्ष – एक, 2. कोषाध्यक्ष– एक, 3. सचिव–एक
4. उपाध्यक्ष–एक, 5. सदस्य–3

इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में 04 पदाधिकारी व 03 सदस्य कुल 07 सदस्य होंगे।

12.कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13.कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य

संस्था के कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

14.कार्यकारिणी की बैठकें:–

कार्यकारिणी की बैठको सम्बन्धी नियम

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें /मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधीक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पुर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारर्णीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी कराना आवश्यक होगा।

15. कार्यकारिणी की पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –

(1) अध्यक्ष –

1. बैठकों की अध्यक्षता करना
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत।
3. बैठक आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्ष–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों का उपयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(3) सचिव –

8. बैठकें आहूत करना।
9. कार्यवाही लिखना व रेकार्ड रखना।
10. आय व्यय पर नियन्त्रण करना।
11. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
12. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानुनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
13. पत्र व्यवहार करना।
14. सम्पति की सुरक्ष हेतु वैद्यानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

(4) कोषाध्यक्ष –
1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना।

16.संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा –
1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

अ. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा सरकारी या गैर सरकारी बैंक अथवा वित्तिय संस्था में सुरक्षित रखी जायेगी एवं संस्था किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंक एवं वित्तिय संस्था अथवा व्यक्ति से ऋण ले सकेगी या ऋण दे सकेगी।

ब. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के सुंयक्त हस्ताक्षरों अथवा प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रमाणित सदस्यों के हस्ताक्षरों से ही बैंक में लेन देन सम्भव होगा।

17.कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की एक मुश्त राशि स्वीकृत कर सकेगें।

(अ) अध्यक्ष – 1,00,000/–
(ब) सचिव – 80,000/–
(स) कोषाध्यक्ष– 50,000/–

उक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी की बैठक में करवाना होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18.संस्था का अंकेक्षण

संस्था के समस्त लेखों–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करना, जिसकी अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च होगी तथा अंकेक्षण की नियुक्ति अध्यक्ष/सचिव करेगें जिसकी अनुमोदन आमसभा या कार्यकारिणी की बैठक में कराई जावेगी।

19.संस्था के विधान में परिवर्तन

1.संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा, जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

20.संस्था का विघटन
यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 व 13 के अनुरूप होगी।
21.संस्था के लेखे–जोखो का निरीक्षण
रजिस्ट्रार संस्थाऐं, प्रतापगढ़ को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा और निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों की पालना की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रगति संस्थान, प्रतापगढ़ की यह मूल प्रति है।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं प्रतापगढ़ (राज.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह विधान नियमावली की संशोधित प्रमाणित प्रतिलिपि है, पढ़ने वाले के हस्ताक्षर ----------एवं प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की दिनांक- 25/05/2022 नकल तैयार करने की दिनांक- 26/07/2022 नकल देने की दिनांक- 26/07/2022

रजिस्ट्रार संस्थाए प्रतापगढ